न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—117/2020/75 एल.आर.एक्ट (2020/00117)

1. मगनी देवी पत्नी स्व0 बालूराम (मृतक)
 1/1 मनभरदेवी पुत्री स्व0 मंगनीदेवी
 1/2 रामप्यारी पुत्री स्व0 मंगनीदेवी
 1/3 सुनीता पुत्री स्व0 मंगनीदेवी
 1/4 माया पुत्री स्व0 मंगनीदेवी
 1/5 रामस्वरूप पुत्र स्व0 मंगनीदेवी
 1/6 राजवीर पुत्र स्व0 मंगनीदेवी
 समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम गोडियावास तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र रामा
2. रामा पुत्र जोरा
3. गोविन्द पुत्र रामा
 समस्त जाति रावत निवासी ग्राम गोडियावास तहसील व जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश क्रमाकःउखउ/प्र.आ.द्वार/ 4के/19 दिनांक 10.12.2004.

उपस्थितः—

1. श्री शशिकांत जोशी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एन0के0जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 04.

निर्णय

दिनांकः—09.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश क्रमाकःउखउ/प्र.आ.द्वार/ 4के/19 दिनांक 10.12.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा गम्भीर अवैधानिकता तथा अनियमितता कारित करते हुए राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

भूमि का आवंटन) नियम 1970 के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में अपने विधि विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 से विवादित आराजी स्थित ग्राम गोडियावास के खसरा संख्या 779 मिन के रकबे में से रेस्पोडेंट संख्या 2 रामा को 1.5 बीघा एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 गोविन्द को 2.8 बीघा भूमि बतौर छोटी पट्टी 5 रूपए की कीमत पर आवंटित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश क्रमाकःउखउ/प्र.आ.द्वार/ 4के/19 दिनांक 10.12.2004 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में निहित आराजी का आवंटन नहीं हो सकता है एवं यदि हुआ भी है तो वह मात्र कागजी आवंटन है क्योंकि यह आराजी न तो काश्त के लिए उपलब्ध है और न ही इस आराजी पर कोई काश्त होती है बल्कि यह आराजी सार्वजनिक रास्ते के तौर पर काम आती है तथा यह आराजी मौके पर मार्ग के तौर पर अवस्थित होकर नाकाबिल काश्त है जो सदामत से ही पड़त रही है उपरोक्त समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु विवादित आराजी का स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त समस्त तथ्य बिना स्थल निरीक्षण के निर्धारित नहीं हो सकते है तथा प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्य अत्यंत सुसंगत है जिनके बिना प्रश्नगत अपील का निस्तारण सारभूत तरीके से नहीं होगा इसलिए प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से विवादित आराजी का स्थल निरीक्षण किए जाने के आदेश प्रदत्त करना न्यायोचित है। इसलिए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से संबंधित तहसीलदार से विवादित आराजी की विस्तृत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट उभयपक्षों की मौजूदगी में निर्मित की जाकर तलब की जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए विवादित आराजी का उभयपक्षों की मौजूदगी में स्थल निरीक्षण कर तहसीलदार अजमेर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवेदन किया कि आवंटन अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2004 से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों/हितों पर प्रत्यक्ष एवं सीधाा प्रतिकुल असर पड़ता है क्योंकि प्रार्थीया वादग्रस्त आवंटित आराजी पर काबिज है तथा आवंटित आराजी प्रार्थीया की अभिलिखित खातेदारी की आराजी क नजदीक स्थित है इसके अतिरिक्त आवंटित आराजी का एक खसरा संख्या 1226 मौके पर रास्ते के तौर पर काम में आ रहा है किंतु आक्षेपित आदेश प्रार्थीया को अवंटन प्रक्रिया में आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं सुनवाई, साक्ष्य का अवसर प्रदत्त किए बिना ही एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है तथा उक्त आदेश से अप्रत्यक्ष तौर पर सम्पूर्ण विवादित आराजी वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 या 3 के नाम अंकित करने के आदेश दिए गए है जो प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों हितों के सर्वथा विपरीत तथा प्रतिकुल होने से उक्त आदेश दिनांक 10.12.2004 के विरूद्ध प्रार्थीया यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुंत करने की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अनुमति के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रार्थीया को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. अभिभाष अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की चिपती अभिलिखित खातेदार कृषक है बावजूद इसके आवंटन की प्रक्रिया को नोटिस दिए बगैर उदसकी अनुपस्थिति में प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर आवंटन नियमों के उल्लंघन में विवादित आराजी का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 2 या 3 को किया गया है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थीया को आवंटन अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 की जानकारी उक्त आदेश पारित होने के दिन से प्रार्थीया को नहीं हो सकी। प्रार्थीया को आक्षेपित आदेश की नियमानुसार एवं विधिवत जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 24.02.2020 को ई मित्र से विवादित आराजी की वर्तमान जमाबंदी लेने पर उक्त जमाबंदी पर रेस्पोडेंट संख्या 2 या 3 की खातेदारी के अंकनों को देखने से हुई। जिस पर प्रार्थीया द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश के बारे में आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर में खोजबीन की गई जिस पर प्रार्थीया को उक्त प्रकरण की पत्रावली एवं नकले आदि प्राप्त हुई। अतः प्रश्नगत प्रथम अपील जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद है चूंकि आक्षेपित आदेश प्रार्थीया को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बगैर प्राकृतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर एकपक्षीय पारित किया गया है एवं ऐसे आदेशों के विरूद्ध चुनौती देने की कार्यवाही में मियाद जैसा तकनीकी बिंदु आडे नहीं आता है एवं प्रकरण में अत्यधिक मैरिट छीपी हुई होने के कारण परिसीमा संबंधी तकनीकी बिंदु अत्यधिक गौण हो जाता है अतः प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में यह उल्लेख करना उत्यंत महत्वपूर्ण है कि आवंटीगण रामा एवं गोविन्द रेस्पोडेंट संख्या 1 बाबूसिंह के परिवार के सदस्य है जो क्रमशः पिता व भाई है तथा बाबू सिंह एक राजकीय कर्मचारी है जो बरवक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी अजमेर के कार्यालय में ही सेवारत था और उसने अपने रसूख व प्रभाव से स्वयं के पद का दुरूपयोग एवं नाजायज फायदा उठाते हुए कपटपूर्ण एवं जालसाजी के तरीके से अन्य सदभावी भूमिहीन/चिपते काश्तकारान को उन्हें उनके जायज हक से वंचित करते हुए एवं अपीलार्थीया के मौके पर कब्जे को नजरअंदाज करते हुए विवादित आराजी अपने पिता व भाई को आवंटित करवा दी है। विवादित आराजी का अवंटन अधीनस्थ आवंटन अधिकारी द्वारा बतौर लघु/छोटी पट्टी किया गया है किंतु यहां स्पष्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रशनगत प्रकरण में विवादित आराजी के छोटी पट्टी के आवंटन से पूर्व न तो नियमानुसार सार्वजनिक उद्घघोषणा जारी की गई है और न ही समीपस्थ चिपते

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

समस्त काश्तकारान को आवंटन की सूचना हेतु कोई नोटिस जारी किए गए हैं इसलिए आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया बाला–बाला एक तरफा में समस्त चिपते काश्तकारान को उन्हें उनके सुनवाई के प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय से वंचित करते हुए सम्पादित की गई है। आवंटन आदेश देखने मात्र से स्पष्ट है क्योंकि आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 से कुल 3.13 बीघा भूमि मात्र 5 रूपए की कीमत पर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को आवंटित की गई है, जिससे राज्य सरकार को भी आर्थिक तौर पर हानि हुई है। इसके अतिरिक्त यहां उल्लेख करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवंटन से पूर्व चिपते काश्तकारान को नोटिस न दिए जाने क कारण वे आवंटन का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जबकि नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया सम्पादित होती तो सर्वप्रथम सार्वजनिक उद्घघोषणा जारी की जाकर समस्त चिपते काश्तकारान को जरिए नोटिस तलब किया जाता एवं एक से अधिक आवंटन प्रार्थना पत्र आने पर निलामी की प्रक्रिया सम्पादित कर अधिकतम बोलीदाता को विवादित आराजी का आवंटन किया जाता जिससे भी राज्य सरकार को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता, जो प्रश्नगत प्रकरण में बाला–बाला आवंटन प्रक्रिया सम्पादित करने से राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में आवंटन की प्रक्रिया सम्पादित करने से पहले आवंटीगण के परिवार के सदस्यों की जांच नहीं की गई है क्योंकि आवंटी रामा के तीन पुत्र है, जो क्रमशः बाबूसिंह आयु 55 वर्ष, गोविन्दसिंह आयु 45 वर्ष, बिरदासिंह आयु 40 वर्ष है जिनमें से बाबूसिंह राजकीय सेवा में सहायक कर्मचारी है तथा बिरदासिंह भी महर्षि दयान्नद सरस्वती विश्वविद्यालय में राजकीय कर्मचारी के तौर पर नियुक्त है इसलिए प्रकरण में आर्थिक तौर पर सम्पन्न व्यक्तियों के परिवार को भूमि आवंटित की गई हैं जो न्याय संगत नहीं हैं। खसरा संख्या 779 मिन रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि बरवक्त आवंटन खाली न होकर अपीलार्थीया के पति एवं उनकी मृत्यु के उपरांत अपीलार्थीया के कब्जे में निरंतर निर्बाध चली आ रही है इसलिए विवादित आराजी अपीलार्थीया के कब्जे में होने से आवंटन के लिए उपलब्ध एवं आवंटन योग्य नहीं थी। विवादित आराजी का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को महज कागजी आवंटन हुआ है क्योंकि आवंटन के उपरांत इन्हें आवंटित आराजी का कब्जा नहीं सम्भलाया गया है और न ही इन्होंनें अपीलार्थीया के विरूद्ध कब्जा प्राप्ति का कोई प्रकरण सक्षम न्यायालय में संस्थित किया है। विवादित आराजी आज भी अपीलार्थीया के कब्जे में है जो प्रश्नगत अपील के साथ संलग्न मौका पर्चा दिनांक 23.06.2015 से सुस्पष्ट है। चूंकि आवंटित आराजी गत खसरा संख्या 779 मिन रकबा 3.13 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बरान क्रमशः 1224 रकबा 0.10 हैक्टर, 1225 रकबा 0.06 हैक्टर, 1226 रकबा 0.26 हैक्टर निर्मित हुए है तथा मौका पर्चा दिनांक 23.06.2015 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1224 व 1225 मेघवाल समाज अर्थात अपीलार्थीया के कब्जे में है एवं खसरा संख्या 1226 व 1227 के बीच बनी कच्ची दिवार भी मेघवाल समाज द्वारा बनाई जाना अंकित किया गया है व खसरा संख्या 1224, 1225 व 1226 रामा पुत्र जोरा की खातेदारी में है। खसरा संख्या 1224, 1225 व 1226 की आराजी राजस्व रिकार्ड में तो रेस्पोडेंट रामा के नाम दर्ज जरूर है लेकिन मौके पर कब्जा अपीलार्थीया मगनी देवी का ही है एवं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 1226 की आराजी अपीलार्थीया द्वारा अपने खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु रास्ते के तौर पर काम में ली जाती है किंतु आवंटन से पूर्व उक्त सभी बिंदुओं की जांच नहीं हुई है तथा बरवक्त आवंटन अपीलार्थीया के पति को सुनवाई के अवसर से वंचित किया गया है, जिस वजह से आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटित आराजी के असल तथ्य सामने नहीं आए है। प्रकरण में विवादित आराजी आवंटन नियम 1970 के नियम 19 के तहत आवंटित की गई है लेकिन अन्य नियमों की स्पष्टतया अवहेलना की गई है यथा नियम 7 के तहत आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घघोषणा को जारी नहीं किया गया है तथा नियम 11 के तहत आवंटन के लिए पात्रता एवं प्राथमिकता को भी अवज्ञा की गई है। आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 को जारी हुआ है तथा इसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 156 व 157 दिनांक 23.12.2004 को स्वीकृत हुए हैं, जिनका नोट जमाबंदी सम्वत 2041 में दर्ज किया गया है तथा उक्त नोट से स्पष्ट है कि आवंटीगण को आवंटन होते ही सीधे ही गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है जो नियम 14(1) की स्पष्ट अवज्ञा है। आवंटन हेतु पेश किए गए आवंटन प्रार्थना पत्र में परिवार के सदस्यों के नाम एवं उनकी सूची पेश करनी आवश्यक होती है किंतु प्रश्नगत प्रकरण में रामा एवं गोविन्द द्वारा पेश आवंटन के प्रार्थना पत्र के काफी कॉलम रिक्त है तथा उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की सूची भी पेश नहीं की है। इसके अतिरिक्त दोनों आवंटन प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है क्योंकि तस्दीक पटवारी नियम 11 के अनुसार काबिल काश्त भूमि का ही आवंटन करने का प्रावधान है जबकि भूमि मौके पर नाकाबिल काश्त है जिस पर आज दिनांक तक कभी काश्त नही की गई है किंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 या 3 ने अपने प्रभाव में झूठी गिरदावरिया भी स्वयं के पक्ष में बनवा ली है। तस्दीक पटवारी रिपोर्ट के बिंदु संख्या 7 में आवंटीगण के घर पर 17 सदस्यों को आवंटीयों पर निर्भर होना बताया जबकि आवंटी रामा के दो पुत्र बाबूसिंह व बिरदासिंह राजकीय कर्मचारी है। जिस वजह से नियम 14(4) के तहत भी आवंटन खारीज किए जाने योग्य है। स्पष्ट है कि आवंटित भूमि विवाद मुक्त नहीं थी, जिस वजह से भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी एवं आवंटित आराजी पर अपीलार्थीया का कब्जा होने से अपीलार्थीया उक्त भूमि को नियम 19 अथवा नियम 20 के तहत आवंटन/नियमन करवाने की हकदार होने से आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2004 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है–आर0आर0डी0 जनवरी 2002, आर0बी0जे0(6) 1999, आर0बी0जे0(5) 1998, आर0बी0जे0(15) 2008, अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के जवाब /बहस में कथन किया कि आवेदन पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया गलत एवं राजस्व अभिलेख के प्रतिकूल होने से अस्वीकार है जबकि अपीलाधीन भूमि जो कि दिनांक 10.12.2004 को सक्षम अधिकारी के द्वारा रेस्पोडेंट संख 2 व 3

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

रामा पुत्र जोरा एवं गोविन्द सिंह पुत्र रामा को विधिवत आवंटित की गई थी तथा आवंटन के समय से ही अपीलाधीन भूमि को मौके पर भारी सुधार विकास कर निरन्तर काश्त की जाती रही है कि जिसका काश्त का खसरा गिरदावरी में भी अप्रार्थीगण के नाम काश्त किए जाने का इंन्द्राज राजस्व कर्मचारी के द्वारा समय समय पर काश्त करने पर काश्त का इन्द्राज किया जाता रहा है, इस संदर्भ में अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया के साथ दस्तावेज भ्झू अभिलेख खसरा गिरदावरियां भी प्रस्तुत की गई, खसरा गिरदावरी सम्वत 2063 से 2066 की खसरा गिरदावरी में भी कॉलम नम्बर 05 गोविन्द पुत्र रामा कौम रावत खातेदार तथा रामा पुत्र जोरा कौम रावत खातेदार खसरा गिरदावरी सम्वत 2065 के कॉलम नम्बर 18 में धनिया, तिल व मूंग कॉलम नम्बर 28 में धनिया मूंग व बाजरा खसरा गिरदावरी सम्वत 2066 के कालम नम्बर 38 में बाजरा, तिल की काश्त का इन्द्राज दर्ज है, खसरा गिरदावरियां कि जिसमें अप्रार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन भूमि को काश्त की जाती रही है जो कि अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील पत्रावली पर भी प्रस्तुत की गई है इसी पैरा में दर्शाये कथन कि विवादित भूमि का आवंटन नहीं हो सकता हो, कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है इसी पैरा में दर्शाए कथन कि विवादित भूमि काश्त के योग्य नहीं हो कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है इसी पैरा में दर्शाए कथन कि विवादित आराजी सार्वजनिक रास्ते के तौर पर काम आती है कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है जबकि विवादित भूमि जो कि कदिमी समय से आवंटन से पर्वू आवंटन के रोज से निरंतर काश्त की जाती रही है, इस कारण इस पैरा में दर्शाए कथन विवादित भूमि सार्वजनिक रास्ते के तौर पर काम आती हो कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है इसी पैरा में दर्शाए कथन कि विवादित आराजी मौके पर मार्ग के तौर पर अवस्थित होकर नाकाबिल काश्त हो कथन भी पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है, विवादित भूमि काबिल काश्त है, काश्त की जाती रही है। अपीलार्थीगण के द्वारा बिना किसी आधार व अधिकार के अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के आवंटन आदेश को 18 वर्ष की अवधि के पश्चात बिना किसी अधिकार के चुनौति दी गई है, अपीलाधीन भूमि से अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार, सरोकार वास्ता ही नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि के संदर्भ में अन्य प्रकरण में तहसीलदार अजमेर के द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 01.06.2018 प्रस्तुत की गई कि जिसके पैरा संख्या 04 के अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि पर आवगमन का मौका पर कोई रास्ता नहीं है, इस संदर्भ में पटवारी हल्का के द्वारा भी मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2018 के अनुसार भी अप्रार्थीगण के द्वारा काश्त की जाती रही है, उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा भी जिला कलक्टर अजमेर को मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 के अनुसार भी विवादित आराजी पर रास्ता ही नहीं है, जबकि आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के समय से निरंतर काश्त की जाती रही है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार उक्त आवेदन पत्र जो कि मात्र उपरोक्त अपील की सुनवाई में देरीना करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

9. अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर कथन किया कि निम्न दस्तावेज जिन्हें अपील पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रमाणित प्रति वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 खाता संख्या 86/86 खसरा नम्बर 858 व 869, प्रमाणित प्रति अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खसरा नम्बर 1222/1383 एवं 1223 जो कि रेस्पोडेंट संख्या 03 गोविन्द की खातेदारी की भूमि के उत्तर दिशा से लगती हुई सिवायचक भूमि है तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 रामा की खातेदारी की भूमि के दक्षिणी दिशा में वर्तमान खसरा नम्बर 1223 है। जो कि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के नाम दर्ज है। तथा रेस्पोडेंट सख्या 02 रामा वर्तमान खसरा नम्बर 1227 जो कि नियमन की गई थी की इस वर्तमान खसरा नम्बर 1227 के पश्चिम दिशा की ओर खसरा नम्बर 1224, 1225 एवं 1226 की खातेदारी की भूमि से लगती हुई भूमि होने के कारण नियमन की गई। प्रमाणित प्रति राजस्व नक्शा सन् 1971–1972, प्रमाणित प्रति मौका पर्चा दिनांक 14.11.2022 जो कि पटवारी हल्का गोडियावास के द्वारा मौत बिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार किया गया। प्रति पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 27.07.2015। प्रति पटवारी हल्का गोडियावास रिपोर्ट दिनांक 01.08.2018। प्रति तहसीलदार जांच रिपोर्ट दिनांक 01.06.2018 जो कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित दस्तावेज कि जिनमें क्रम संख्या 01 से 03 राजस्व अभिलेख जो कि तहसीलदार, अजमेर के द्वारा जारी की गई राजस्व अभिलेख की प्रतियां है जो कि संदेह से परे है तथा क्रम संख्या 04 वर्तमान मौका स्थिति सीमाज्ञान जांच रिपोर्ट तथा क्रम संख्या 5,6 एवं 7 में वर्णित दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 1224, 1225, 1226, 1227 की भूमि पर कोई रास्ता ही नहीं है, वर्तमान राजस्व मानचित्र में कोई रास्ता अंकित नहीं है, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जो कि सुसंगत दस्तावेज है एवं उक्त अपील के न्यायिक निर्णय हेतु भी आवश्यक है कि जिन्हें अपील पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि उपरोक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को अपील पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने की कृपा करें।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के जवाब/बहस में कथन किया कि आवेदन पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कथन अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 के विरूद्ध मूल अपील दिनांक 27.07.2020 करीब 18 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है एवं अपीलाधीन भूमि कि जिसमें अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई हित निहित ही नहीं है, अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश के आवंटन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन भूमि जो कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को दिनांक 10.12.2004 को आवंटित की गई कि जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि से लगती हुई कि जिस पर निरंतर काश्त की जाती रही है, इस प्रकार विवादित भूमि से

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

आवेदनकर्ता का किसी प्रकार का हक अधिकार सरोकार ही नहीं है, खसरा नम्बर 1226 की भूमि जो कि अप्रार्थी संख्या 02 रामा की खातेदारी की कृषि भूमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 रामा के द्वारा निरंतर काश्त की जाती रही है, खसरा नम्बर 1226 मौके पर रास्ते के तौर पर काम आ रही हो कथन भी पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है जबकि खसरा नम्बर 1226 की भूमि जो कि अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी की कृषि भूमि है कि जिस पर काश्त की जाती रही है, आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई साक्ष्य का अवसर नहीं दिया कथन भी पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है, जबकि आवंटन के प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को सूचना दिए जाने का सुनवाई किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन भूमि से अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार से हित निहित, कब्जा आदि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, इस कारण अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने के अधिकारी ही नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन पत्र निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर जवाब/बहस में कथन किया कि आवेदन पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कथन अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 के विरूद्ध मूल अपील दिनांक 27.07.2020 करीब 18 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन आवंटित भूमि से चिपकी हुई भूमि आवेदनकर्तागण अपीलार्थीगण की होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है बल्कि अपीलाधीन आवंटित भूमि जो कि खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 2 रामा व 3 गोविन्द की खातेदारी की भूमि से लगती हुई आवंटन के रोज व आज भी, ऐसी अवस्था में विवादित भूमि अपीलार्थीगण की आराजी से लगती हुई हो पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है। आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 की जानकारी सर्वप्रथम अपीलार्थीगण को दिनांक 24.02.2020 को ही हुई हो कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि आवंटन अधिकारी के द्वारा आवंटन आदेश सरेआम जलसा में की जाती है जिसकी सम्पूर्ण ग्रामवासियों को भी पूर्ण जानकारी थी एवं रही अपीलाधीन आवंटित भूमि के संदर्भ में अपीलार्थीया मगनी एवं उसके पुत्रगण रामस्वरूप, ओमप्रकाश, शिवपाल, रामप्रकाश एवं गोपीराम पुत्र छोगा राम के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 रामा के द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2012 रामा बनाम रामस्वरूप व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष दिनांक 25.05.2012 को भी प्रस्तुत किया गया, इस राजस्व वाद में वर्तमान अपीलार्थी एवं उसके वारिसान जो कि प्रतिवादीगण के द्वारा जरिए अधिवक्ता के दिनांक 05.07.2012 को ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष उपस्थित हो चुके थे, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन आवंटित भूमि, आवंटन की प्रथमतः अपीलार्थीगण को पूर्व में जानकारी थी एवं दिनांक 05.07.2012 को भी जानकारी हो चुकी थी यहां तक कि अपीलाधीन आवंटित भूमि के संदर्भ में एक अन्य राजस्व प्रकरण संख्या 114/2012 रामा बनाम रामस्वरूप व अन्य भी प्रस्तुत किया गया कि जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा दिनांक 16.06.2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

कन्फर्म की जाकर पाबंद भी किया गया, इस प्रकार अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 24.02.2020 को ही हुई हो कथन गलत होने से अस्वीकार है, अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मूल अपील जो कि 18 वर्षों की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है इस कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपील भारी मियाद बाहर पेश की गई है इसलिए अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत किया जाने से निरस्त किया जाए।

12. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस अपील में कथन किया कि आधार जमाबंदी के खाता नम्बर नया 179 पुराना 163 के खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.1000 खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.0600 एवं खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.0500 की भूमि जो कि ग्राम गोडियावस तहसील व जिला अजमेर में स्थित है कि जिसके वर्किंग जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी खातेदार दर्ज है एवं काबिज है इस संदर्भ में प्रतिवादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि है तथा वादीगण बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी के शांति पूर्ण कब्जेकाश्त में दखल करने एवं जबरन रास्ता बनाने तथा अतिचार करने पर आमादा है इस कारण वादीगण के विरूद्ध अंतरिम आदेश पारित किया जाकर पाबंद किया जावे परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन अंतरिम आदेश के संदर्भ में कोई विवेचन नही किया गया बल्कि प्रकरण दर्ज कर आगामी पेशी दिनांक 5.7.2012 तय की गई जबकि विधि के सिद्धांत के अनुसार एवं बेवजह विवाद बढ़ने की रोक तथा अपीलार्थी के हितों की रक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण के विरूद्ध अंतरिम आदेश पारित किया जाकर पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था परंतु न्यायालय के द्वारा वापदीगण के विरूद्ध अंतरिम आदेश पारित ही नहीं किया गया जिससे प्रतिवादी के हितों कि रक्षा किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलाधीन भूमि कि जिसका वर्तमान जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज है एवं काबिज है जिसमें वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार सरोकार नहीं है परंतु वादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर पाबंद नहीं किया गया इस कारण आज भी प्रतिवादी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल करने, अतिचार करने एवं जबरन रास्ता बनाने तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण मूल अपील के निर्णय तक प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाकर पाबंद किया जावे। अप्रार्थी के पक्ष में तीनों बिंदु सुविधा का संतुलन, प्राईमाफेसी केस एवं आर्थिक नुकसान के तीनों मुख्य बिंदु अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– आर0आर0टी0 2018(2), आर0बी0जे0(8)2001,आर0एल0डब्लयू 2018(2), आर0आर0टी0 2009(1), आर0बी0जे0(23)2016.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

13. सर्वप्रथम हम रेस्पोडेन्टस द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 में प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/ बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये है वो विधि सम्मत नही है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।जबकि अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस में बताया तक प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न सभी दस्तावेजता राजकीय है तथा सभी लोक दस्तावेजात की श्रेणी में आते है जो निर्णय अपील में सहायक है। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर परमनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

14. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि इस संबंध में अपीलांट द्वारा यह कथन किया कि ग्राम गोडियावास खसरा नम्बर 779 के रकबे में से रेस्पोडेट नम्बर 2 रामा को 1–5–00 बीघा भूमि एवं रेस्पोडेंट नम्बर 3 गोविन्द को इसी खसरा नम्बर में से 2–8–0 बीघा भूमि बतौर छोटी पट्टी नियमन पांच रूपए किमत पर आवंटित की गई है, तथा आवंटन नियमन से पूर्व समस्त चिपते काश्तकारों को बिना नोटिस दिए तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 जो राजकीय कर्मचारी रहा अपने द्वारा गलत प्रभाव डालने से आवंटित करवाई गई जबकि खसरा नम्बर 779 रकबा 3–13–00 भूमि बरवक्त आवंटन खाली नही थी अपीलार्थीया के पति का कब्जा था। उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट का कब्जा चला आया तथा मौका पर्चा 23.6.2015 के अनुसार 779 के वर्तमान खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.10 हैक्टर, 1225 रकबा 0.06 हैक्टर, 1226 रकबा 0.26 हैक्टर पर मेघवाल समाज का कब्जा है तथा कच्ची दीवार बनी हुई है तथा यह भी कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 1224, 1225,1226 रामा पुत्र जोरा की खातेदारी में दर्ज है परंतु कब्जा अपीलार्थी का है। यह भी कथन किया कि अपीलार्थीया अपनी खातेदरी की भूमि में आवगमन हेतु विवादित भूमि रस्ते के रूप में काम में ली जा रही हैं। यह भी कथन किया कि आवंटित भूमि गैर खातेदारी के स्थान पर सीधे ही खातेदारी दर्ज कर दी गई। बाबूसिंह व बिरदासिंह पुत्र रामा राजकीय कर्मचारी रहे इसके बावजूद विवादित भूमि आवंटन की गई जिससे अपीलार्थीयागण पीडित है जवाब में वकील रेस्पोडेंट द्वारा आवंटन नियम 1970 के तहत बरवक्त आवंटन समस्त तथ्यों की जांच कर रामा व अन्य अपने भाई सह हिस्सेदारों के सहित वर्किंग खसरा नम्बर 858 रकबा 1–16–00 व 869 रकवा 1–2–00 भूमि के खातेदार हैं। इसी से लगता व चिपता हुआ खसरा नम्बर 779 में से एक बीघा 5 बिस्वा भूमि छोटी पटटी के रूप में रेस्पोडेट 2 रामा को आवंटित की गई इसी प्रकार वर्किंग खसरा नम्बर 865 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि से चिपती हुई खसरा नम्बर 779 में से 2–8–00 भूमि रेस्पोडेंट नम्बर 3 गोविंद को आवंटित की है। गोविंद द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 865 रेस्पोडेंट बाबूसिंह को दिनांक 15.6.2012 पंजीकृत बक्शीशनामा(उपहार पत्र) से रेस्पोडेंट नम्बर 1 बाबूसिंह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

का हस्तांतरित कर दी गई। बाबूसिंह के पक्ष में नामांतरकण दर्ज कर खातेदार अंकित कर दिया गया। खसरा परिवर्तशील 2059 के अनुसार खसरा नम्बर 779/1 पर गोविंद पुत्र रामा का कब्जा एवं सम्वत 2060 के अनुसार खसरा नम्बर 779 के एक भाग पर रामा पुत्र जोरा की काश्त इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2052 रामा का कब्जा 779 में अंकित है। 779 के वर्तमान खसरा नम्बर 1224,1225, 1226 रामा पुत्र जोरा की खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 1222 गोविंद पुत्र रामा के स्थान पर गोविंद पुत्र रामा आधा हिस्सा बाबू पुत्र राम की खातेदारी में दर्ज है। सम्वत 2063 से 2066, 2070,2071–2074 की खसरा गिरदावरी में खसरा नम्बर 779/6 गोविंद पुत्र रामा व रामा पुत्र जोरा तथा इसके विपरीत अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोइ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आवंटन भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 779 के वर्तमान खसरा नम्बर 1222,1224,1225,1226 व 1227 के चिपते हुए कौन से खसरा नम्बर अपीलार्थीया व अपीलार्थीया के पति बालूराम की खातेदरी में रहे सम्पूर्ण मिमो अपील में भी स्पष्ट नहीं किया गया कि खसरा नम्बर 779 जो कि छोटी पटटी के रूप में 10.12.2004 को अपीलार्थीया अथवा उनके पति की खातेदारी की भूमि चिपते हुए हो यह छोटी पटटी आवंटन में सुस्थापित सिद्धांत है कि छोटी पटटी आवंटन नियमन के लिए छोटी पटटी से चिपते हुए खातेदारी खेत होना आवश्यक है परंतु अपीलार्थीया द्वारा अपने मिमो अपील में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे साबित हो कि छोटी पटटी आवंटित भूमि के चिपवा अपीलार्थी अथवा उनके पति बालूराम की खातेदारी भूमि रही। जो बालूराम पुत्र छितरमल की खातेदारी की भूमि 1210/1377,1271/1379,1221/1380,1222/1381,1223/1382 भूमि नामांतकरण संख्या 146 दिनांक 2.2.2017 से न्यायालय कलक्टर अजमेर द्वारा पारित निर्णय के तहत सिवायचक अंकित कर दी गई। इस प्रकार अपीलार्थीया द्वारा यह साबित नहीं किया गया की छोटी पटटी आवंटित भूमि के चिपवा कोई उनकी खातेदारी की भूमि रही हो अथवा छोटी पटटी आवंटित भूमि के लिए अपीलार्थीया अथवा उनके पति बालूराम द्वारा बरवक्त आवंटन ग्रम गोडियावास ग्राम पंचायत बैठक गोडियावास कमेटी के समक्ष कोई आवेदन किया हो अथवा आवटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा हो जहां तक रास्ते का प्रश्न है अपीलार्थीया द्वारा अपने मिमो अपील में कही भी स्पष्ट नहीं किया की अपीलार्थीया व उनके पति की कौन सी खातेदारी की भूमि में जाने हेतु रास्ता रहा हो। इसके विपरीत पत्रावली उपलब्ध तहसीलदार व पटवारी अजमेर की जांच रिपोर्ट 16.2..2018 के अनुसार मौके पर कोई भी रास्ता होना उल्लेखित नहीं है इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी अजमेर की जांच रिपोर्ट 27.2.2018 के अनुसार भी अपीलार्थीया व उसने पति का कोई रास्ता होना अंकित किया है एवं रेस्पोडेट का कब्जा काश्त व खातेदारी अंकित की है इसी प्रकार मौका पर्चा दिनांक 7.11.2012 एवं 3.8.2012 एवं 9.8.2012 के अनुसार भी मौके पर रेस्पोडेंट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि बताई गई है तथा कोई रास्ता होना अंकित नही किया गया है। मौका पर्चा दिनांक 23.6.2015 बनाते वक्त रेस्पोडेंट को कोई सूचना दी हो अथवा रेस्पोडेंट की उपरिथिति में कोई मौका पर्चा बनाया हो मौके पर्चे से स्पष्ट नहीं होता है। जबकि इसके पश्चात उपरोक्त वर्णित मौकों पर्चो

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

में हल्का पटवारी तहसीलदार एवं उपखणड अधिकारी द्वारा मौके पर रेस्पोडेंट का अपनी–अपनी भूमि पर कब्जा काश्त एवं खातेदारी बताई है एवं मौके पर कोई रास्ता होना अंकित नहीं किया हैं इस कारण मौका पर्चा दिनांक 23.6.2015 किसी भी प्रकार से विश्वसनीय नही माना जा सकता इस प्रकार अपीलार्थीया द्वारा यह कही भी साबित नहीं किया गया कि रेस्पोडेट नम्बर 2 व 3 को छोटी पटटी आवंटित भूमि से वर्ष 2004 से किसी प्रकार व्यथित है यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बालूराम के और भी वारिसान है जिनहे अपील में पक्षकार नही बनाया गया है ना ही उनके द्वारा आवंटन को चुनौति दी गई है अकेली अपीलार्थीया किसी प्रकार से पीडित हो सकती है एवं वर्ष 2004 छोटी पटटी आवंटन से अब लगभग 18 वर्ष लंबी अवधि पश्चात किसी प्रकार व्यथित हुई है अपने मिमों अपील में किसी प्रकार स्पष्ट नहीं किया जहां तक सीधे आवंटन से सीधे आवंटन का प्रशन है कृषि आवंटन नियमन नियम 1970 के नियम 19 में आसामी के खेत के साथ लगा हुआ भूमि का छोटा टुकडा अथवा खंड जो एक स्टेण्डर्ड एकड से अधिक न हो ऐसे आसामी द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर उपखण्ड अधिकारी सलाहकार समिति के खातेदारी आधार पर 5 रूपए शुल्क पर आवंटित किया जा सकेगा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीया छोटी पटटी आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2004 से पीडित पक्षकार होना प्रमाणित नहीं होना इस प्रकार अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा0दी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किएं जाने योग्य होने से निरस्त किया जाता है एवं साथ ही अपील अपीलांटस भी निरस्त की जाती है।

15. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किये जाने से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner